झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

चतुर्थ झारखण्ड विधान-सभा

चतुर्थ-सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 22.12.2015 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं0	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	सर्वश्री दशरथ गागराई,दीपक विरूवा एवं श्री चम्पाई सोरेन स0वि0स0	सरायकेला खरसावाँ जिला के चाण्डिल अनुमण्डल के चाण्डिल में पदस्थापित अंचलाधिकारी श्री अनन्त कुमार पर स्थानीय जनता द्वारा लगाए गए कई गंभीर आरोप प्रमाणित होने के उपरान्त उपायुक्त सरायकेला खरसावाँ द्वारा समयक जाँचोपरान्त इनके विरूद्ध आरोप गठित कर प्रपत्र "क" ज्ञापांक संख्या-1684/रा0 सरायकेला, दिनांक- 10.10.2015 के माध्यम से विभागीय कार्रवाई हेतु विभाग को भेजा गया है, किन्तु विभाग द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं ली गई है। अतएव श्री अनन्त कुमार, अंचलाधिकारी चाण्डिल को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए इनके विरूद्ध कठोर विभागीय कार्रवाई करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
02-	श्री कुणाल षड़ंगी स0वि0स0	झारखण्ड राज्य में बहुत सारी ऐसी जातियां है जो आज तक सूचीबद्ध नहीं है। जबकि उनके रिश्तेदार एवं परिवार के लोग पड़ोसी उड़ीसा एवं पं0 बंगाल में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में सूचीबद्ध है जैसे माल/मल्ल क्षत्रिय, दण्डक्षत्र मांझी, पुराण आदि राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार को अनुशंसा भेजने के बावजूद आज तक उन्हें सूचीबद्ध नहीं किया गया है। बहुत सारी ऐसी जातियाँ है जो पिछड़ा या अनुसूचित जाति में अविभाजित बिहार के समय से हिन्दी में सूचीबद्ध है। लेकिन उसी जाति के लोगों का खतियान में उड़ीया या बंग्ला भाषा के समोपर्यायवाची नाम लिखे रहने के बावजूद उन्हें जाति प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा रहा है। उदाहरण स्वरूप नाई हिन्दी में नाई जाति का बंग्ला या उड़ीया में समोपर्यायवाची नापित, बारिक, भण्डारी आदि है।	कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा

कृ0पृ0उ0

01.	02.	03.	04.
		अतः मैं सरकार से माँग करता हूँ कि सामाजिक न्याय के लिए इन विसंगतियों को दूर करने के लिए केन्द्र सरकार पर दबाव डालकर असूचीबद्ध जातियों को सूचीबद्ध करायें तथा सूचीबद्ध जातियों का समोपर्यायवाची उड़िया एवं बंग्ला भाषा के नाम के साथ स्थानीय जाँच कर उन्हें तत्काल जाति प्रमाण-पत्र निर्गत करने के लिए परिपत्र जारी करने के लिए सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	
03-	श्री योगेन्द्र प्रसाद एवं श्री शशि भूषण सामाड़ स0वि0स0	बोकारो जिलान्तर्गत गोमिया प्रखण्ड के तेनुघाट डैम का पानी का उपयोग बोकारो सेल द्वारा किया जा रहा है। झारखण्ड सरकार जल संसाधन विभाग द्वारा तथा बोकारो सेल के बीच बोकारो सेल के द्वारा उपयोग किया जा रहा पानी का एकरारनामा दिनांक- 23.03.2015 तक वैध था परन्तु झारखण्ड सरकार जल संसाधन के विभागीय पदाधिकारियों द्वारा बोकारो सेल को पूर्णएकरारनामा के लिए अनेको बार पत्राचार किये (दिनांक- 22.11.2014, 04.02.2015 तथा 12.03.2015) लेकिन अब तक पूर्णएकरारनामा बोकारो सेल द्वारा नहीं किया गया जिससे सरकार को प्रति माह करोड़ों में राजस्व की हानि हो रही है। ज्ञात हो कि एकरारनामा दिनांक- 23.03.2015 के वैध तिथि के पूर्व बोकारो सेल के पास 485 करोड़ रूपये का राजस्व बकाया है। अतः सरकार से आग्रह है कि बोकारो सेल से पूर्णएकरारनामा तथा बकाया राशि वसूली करने की ओर सरकार का ध्यानाकृष्ट कराना चाहता हूँ।	जल संसाधन
04-	श्री योगेश्वर महतो स0वि0स0	बोकारो जिला के जरीडीह प्रखण्ड अन्तर्ग N.H. 320 जैनामोड़ से गोपीनाथपुर, तीरो, गांगजोरी, चिलगड्डा, अराजु, भस्की, टोंडरा होते हुए पिरगुल चौक तक 30 कि0मी0 ग्रामीण सड़क 10 पंचायत के ग्रामीणों का आवागमन का एकमात्र महत्वपूर्ण सड़क है, जो दर्सो पंचायत के कई ग्रामीण सड़कों को जोड़ता है। यह सड़क जरीडीह प्रखंड के ग्रामीणों का लाईफ लाईन है, जिस रास्ते कई छोटी-बड़ी गाड़ीयों के माध्यम से लोग अपनी जरूरतों को पुरा करने के लिए शहर तक आते है। यह R.E.O. की सड़क होने के कारण मरम्मति के अभाव में छोटे-बड़े गढ्ढों में तब्दील हो गया है, जिससे ग्रामीणों का आवागमन दुरूह हो गया है। अतः पुर्णतः उग्रवाद प्रभावित ग्रामीण कस्बों/पंचायतों से गुजरनेवाली उक्त R.E.O. सड़क को P.W.D. में समायोजित करने की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ।	ग्रामीण विकास

कृ0पृ0उ0

01.	02.	03.	04.
05-	श्रीमती सीता सोरेन श्री अमित कुमार महतो एवं श्री अनिल मुर्मू स0वि0स0	संथालपरगना में पेनम कोल कंपनी पाकुड़ द्वारा लीज एवं पुनर्वास के शर्त्तो का घोर उल्लंघन की खबर आ रही है। यह भी सूचना है कि संथालपरगना के आयुक्त द्वारा सरकार ने इसकी जाँच भी करवाई है। सरकार को इस रिर्पोट को सार्वजनिक कराना चाहिए। मैं माँग करती हूँ कि पेनम द्वारा किये जा रहे घोटालों और लीज एवं पुनर्वास के शर्त्तो के उल्लंघन से संबंधित तमाम जानकारियाँ राज्य की जनता को उपलब्ध कराये जाने हेतु मैं सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहती हूँ।	खान एवं भूतत्व

राँची,
दिनांक- 22 दिसम्बर, 2015 ई0।

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-81/2015-3160/वि0 स0, राँची, दिनांक-21/12/15

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ मा0 राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता उच्च न्यायालय राँची/कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग/ जल संसाधन विभाग/ ग्रामीण विकास विभाग एवं खान एवं भूतत्व विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

नीलेश रंजन
21/12/15
(नीलेश रंजन)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-ध्या0 एवं अना0प्र0-81/2015-3160/वि0 स0, राँची, दिनांक-21/12/15.

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्ष महोदय/आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

नीलेश रंजन
21/12/15
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष

21/12/15